•BUILDING SKILLS•BUILDING FUTURE•

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली – 110 301 भारत

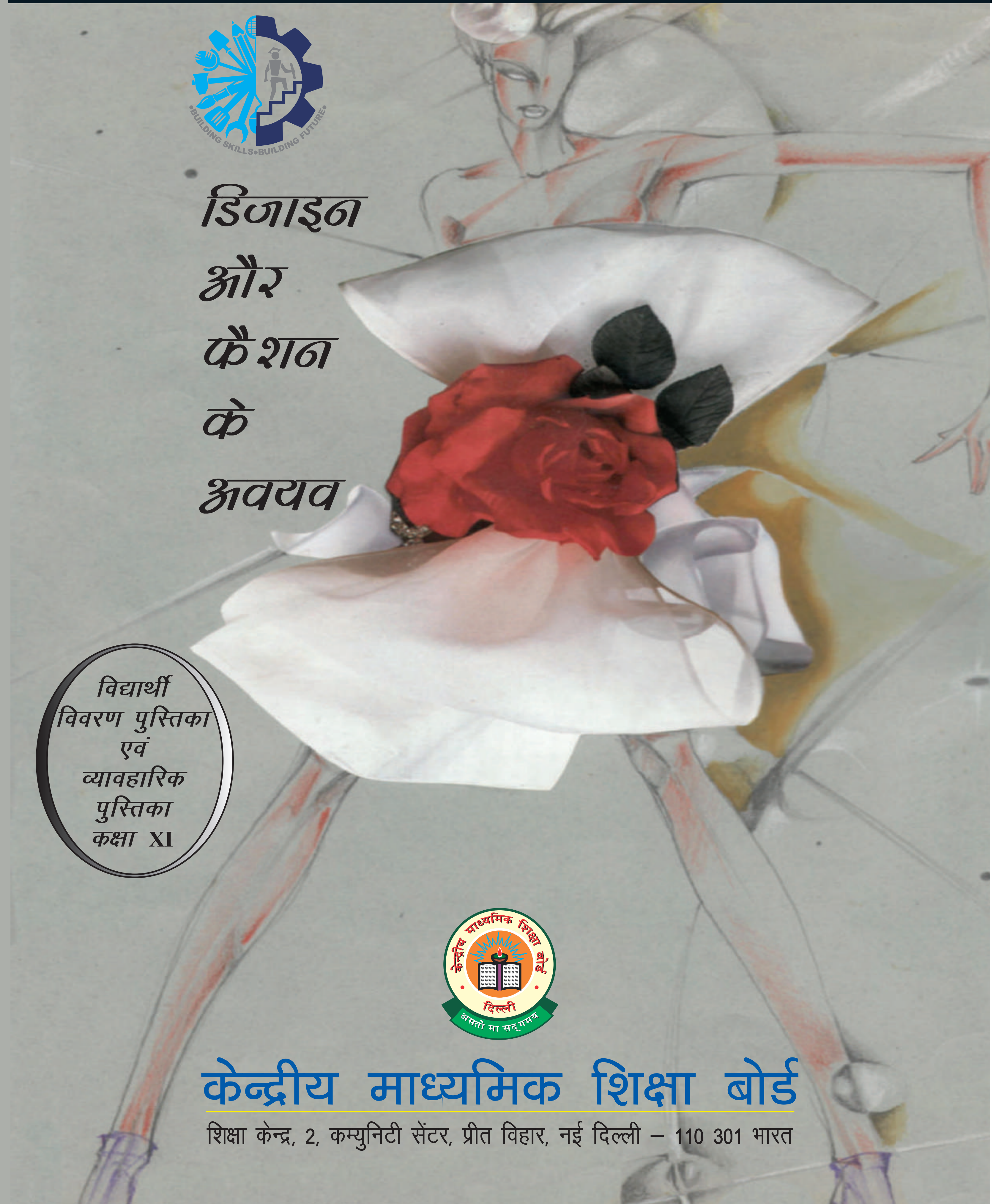

डिजाइन और फैशन के अवयव

विद्यार्थी विवरण पुस्तिका एवं व्यावहारिक पुस्तिका

कक्षा XI

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली – 110 301 भारत

•BUILDING SKILLS•BUILDING FUTURE•

•BUILDING SKILLS•BUILDING FUTURE•

डिजाइन और फैशन के अवयव

फैशन डिजाइन परिधान प्रौद्योगिकी
विवरण पुस्तिका

कक्षा

XI

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी
के सहयोग से

डिजाइन और फैशन के अवयव पाठ्य–पुस्तक कक्षा **XI**
मूल्य : ₹ 360/-
प्रथम संस्करण, जून 2013, सीबीएसई, भारत
प्रतियां : 500

" प्रस्तुत पुस्तक को या उसके किसी भी भाग को किसी भी व्यक्ति या किसी भी एजेन्सी के द्वारा पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा ।"

प्रकाशक : सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली – 110301

डिजाइन, लेआउट : डी.के. प्रिंटर्स, 5/37, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली – 110015
दूरभाष : 011 25414260, 25938138.

मुद्रक : डी.के. प्रिंटर्स, 5/37, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली – 110015
दूरभाष : 011 25414260, 25938138.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1][प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता]
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परीक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

1. संविधान (छयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the[2] [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of six and forteen years.

1. Ins. by the constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002 S.4 (w.e.f. 12.12.2002)

डिजाइन और फैशन के अवयव

सीबीएसई

परामर्शदाता

श्री विनीत जोशी, आईएएस, अध्यक्ष, सीबीएसई

श्री एम. वी. वी. प्रसादा राव, निदेशक, व्यावसायिक व एजूसेट

संपादन व समन्वय

डॉ. बिस्वजीत साहा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं कार्यक्रम अधिकारी
व्यावसायिक शिक्षण सीबीएसई

सुश्री स्वाति गुप्ता, सहायक प्रोफेसर एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी
व्यावसायिक शिक्षण सीबीएसई

निफ्ट

श्री प्रेम कुमार गेरा, महानिदेशक, निफ्ट
वरिष्ठ प्रो. बन्ही झा, डीन, शैक्षणिक , निफ्ट

एंकर

प्रो. वंदना नारंग

विकासकर्ता

प्रो. बन्ही झा,

टिप्पणी : बोर्ड को जब कभी आवश्यक हो पाठ्यक्रम और पाठ को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। विद्यालयों से अनुरोध है कि शैक्षणिक सत्रों और संबंधित परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का सख्ती से पालन करें। कोई विचलन संभव नहीं हैं।

आमुख

भारतीय टेक्सटाईल एवं फैशन उद्योग द्वारा निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। यह कृषि के साथ ही दूसरा सबसे बडा घरेलू रोजगारन्मुख क्षेत्र है। परिधान उद्योग को संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जो विविध उपभोक्ता वर्गों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। असंगठित क्षेत्र में बने बनाए वस्त्रों की बड़ी दुकानें, स्वतंत्र ढांचे एवं दर्जी की दुकानें, लघु उद्योग शामिल है, जबकि संगठित क्षेत्रों में अकेले या बहुत सारे ब्रॉन्डों की फुटकर दुकानें, डिजाइनर बूटिक इत्यादि शामिल हैं जो विशिष्ठ वर्ग के उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं देते हैं। संगठित एवं ब्रॉन्डेड सेगमेंट में उच्च स्तर की वृद्धि के कारण सीएजीआर के अनुसार घरेलू वस्त्र बाजार मार्केट में 11 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गयी है। जबकि 2011 में भारतीय कपड़ा व वस्त्र उद्योग का व्यापार 662 अरब अमरीकी डॉलर रहने की संभावना है और 2021 तक सीएजीआर के अनुसार यह 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा। भारतीय कपड़ा उद्योग एवं वस्त्र उद्योग में लगभग 45 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है, साथ ही इसके सहायक उद्योग में 60 मिलियन लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुआ है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने छात्रों की पेशेवर पाठ्यक्रम की ओर बढ़ती हुई रूचि को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों के विकास हेतु पहल की है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फैशन डिजाइन गारमेंट तकनीक ;एफडीजीटी पर आधारित पेशेवर पाठ्यक्रम को कक्षा **XI** व **XII** के छात्रों को एक विकल्प प्रस्तुत किया है कि वे या तो उच्च शिक्षा के लिये आगे सतत् शिक्षा प्राप्त करते रहें या अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर फैशन उद्योग में एक उद्यमी के रूप में प्रवेश कर सकें इस पाठ्यक्रम में न सिर्फ किताबी ज्ञान को शामिल किया है अपितु उससे संबंधित कौशल पर भी ध्यान दिया है जो उक्त विशिष्ठ उद्यम की मांग है। एफडीजीटी द्वारा संचालित पेशेवर पाठ्यक्रम में न केवल सैद्धांतिक विषय को शामिल किया है वरन् यह छात्रों को परिधान प्रौद्योगिकी और फैशन डिजाईनिंग के क्षेत्र में पेशेवर दक्षता हासिल करने में सामर्थता भी प्रदान करता हैं।

सीबीएसई के अधिकारियों व शिक्षकों, वरिष्ठ एनआईएफटी सदस्यों व छात्रों, इस क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्यमियों व निर्यातकों के मध्य विचार विमर्श के द्वारा ही इस विषय की विषय– वस्तु को तैयार किया गया है।

बोर्ड इस संबंध में श्री पी.क़े गेरा, आईएएस, महानिदेशक, एनआईएफटी व वरिष्ठ प्रोफेसर बन्ही झा, प्रोफेसर वंदना नारंग– प्रोजेक्ट एंकर, प्रो. अनिता मेबल मनोहर एवं सुश्री नयनिका ठाकुर मेहता, निफ्ट के एसोसिएट प्रोफेसर्स का कक्षा **XI** के छात्रों के लिये सीबीएसई पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में मूल्यवान समय व सहयोग का आभारी हूं। डॉ. बिस्वजीत साहा, एसोसिएट प्रोफेसर व कार्यक्रम अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षण प्रकोष्ठ, सीबीएसई और सुश्री स्वाति गुप्ता, सहायक प्रोफेसर व सहायक कार्यक्रम अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षण प्रकोष्ठ, सीबीएसई और उसके अन्य सदस्यों के अथक प्रयासों के प्रति आभारी है।

पुस्तक के संदर्भ में पाठकों से किसी भी प्रकार के सुझावों और प्रतिक्रियाओं का सहर्ष स्वागत है ताकि उसे भविष्य के संस्करणों में समायोजित किया जा सके ।

नई दिल्ली
जून, 2013

श्री विनीत जोशी, आईएएस
अध्यक्ष सीबीएसई

अध्यापकों के लिए टिप्पणी

'डिजाईन और फैशन के अवयव' केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ''फैशन डिजाईन परिधान प्रौद्योगिकी'' पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पाठ्य–पुस्तिका का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को फैशन उद्योग की विभिन्न डिजाइन और फैशन आवश्यकताओं से संबंधित मूलभूत अभिज्ञान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य डिजाइन शब्दावली, प्रमुख फैशन अवधारणाओं और फैशन सिद्धांतो सहित सैद्धांतिक आधार विकसित करना है। यह फैशन इतिहास में मुख्य पलों को उजागर करता है और भारतीय फैशन मे क्रमिक विकास पर इसके प्रभाव को उकेरना है। इसके साथ–साथ यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के परिधान में निरुपण के जरिए डिजाईन और फैशन के प्रमुख पहलुओं के अभिग्रहण के व्यवहारिक अनुप्रयोग को सुकर करता है।

पाठ्य–पुस्तक चित्रों, उदाहरणों और रेखाचित्रों की रोचक प्रस्तुति सहित वाचनिक व दृश्य उदाहरणों के साथ मुख्य अवधारणाएं और सिद्धांत स्पष्ट करती है। प्रत्येक अध्याय का समापन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, समीक्षा प्रश्नों और अभिग्रहण के निर्धारण के लिए कार्यकलाप और नवाचारों की पुनरावृति, स्वतंत्र चिंतन की अंतर्विष्टि और कक्षा चर्चा को प्रोत्साहित करने के साथ होता है। प्रत्येक अध्याय में अभिग्रहण 'पुनरावृति' सुकर करने के लिए संक्षिप्त सार है। पुस्तक के अंत में आवश्यक शब्दों को शब्दावली में स्पष्ट किया गया है। पुस्तकों और वेबसाईटों को संदर्भ भाग में शामिल किया गया है।

विषय में सैद्धांतिक अवयवों और व्यवहारिक पक्षों पर जोर देने की सुनिश्चिता की बहुविध दृष्टिकोण अवधारणा और पत्रिकाओं, पुस्तकों, वस्त्रों अथवा परिधान नमूनों जैसे अतिरिक्त संदर्भों के माध्यम से प्रदर्शन सत्र आयोजित किए जाएं ताकि विषय और दृश्य–स्पर्शनीय अवयवों के बीच संबंध की विषय को समझने की बेहतर समझ सुकर हो सके। अध्यापक प्रश्नोत्तरी के रुप में प्रत्येक विषय के बोध का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तथापि, प्रत्येक अध्याय के अंत में कार्यकलाप अनुप्रयोग–आघारित अभिग्रहण के प्रदर्शन के लिए छात्रों को व्यैक्तिक पहल के लिए प्रोत्साहित करना है और इसका मूल्यांकन आवश्यक नहीं होगा। संग्रहालयों, बाजारों और प्रदर्शनियों के दौरे प्रयोगात्मक अभिग्रहण अंतर्विष्ट करेगें। यह अध्यापकों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा क्योंकि भारत में समकालिक फैशन इतिहास और उद्योग पर केंद्रीयकरण करके डिजाईन और फैशन अभिग्रहण सुकर होगा।

विषय–वस्तु

डिजाइन और फैशन के अवयव
प्रस्तावना
शिक्षकों के लिए टिप्पणी

इकाई 1: डिजाइन का परिचय 1
1.1 डिजाइन की परिभाषा 1
1.2 डिजाइन के अवयव 2
1.3 डिजाइन के सिद्धांत
1.4 फैशन आकृति पर परिधान प्रदर्शन 19

इकाई 2: डिजाइन का इतिहास ***46***
2.1 प्रस्तावना 46
2.2 फैशन की परिभाषा 48
2.3 फैशन को प्रभावित करने वाले कारक 52
2.4 वस्त्रों का उद्‌भव और आवश्यकता 58
2.5 पोशाक का उद्‌भव और विकासः आच्छादित पोशाकें, भारतीय युद्ध पोशाकें एवं इसके विकास 66

इकाई 3: आधुनिक वस्त्रों का इतिहास ***78***
3.1 औद्योगिक क्रांति 78
3.2 औद्योगिक क्रांति का प्रभाव 81
3.3 औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनी आविष्कार 82
3.4 भारत पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव 84
3.5 भारतीय फैशन का उद्‌भव 89

इकाई 4: फैशन बाजार की गतिशीलता ***99***
4.1 फैशन का संचलन 99
4.2 फैशन सिद्धांत 107
4.3 मुख्य अवधारणाएं और शब्दावली 110
4.4 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए परिधान श्रेणियां 116

शब्दावली ***144***
ग्रंथ–सूची ***146***
आभार ***147***
व्यावहारिक पूस्तिका ***149***